RESEARCH PAPER | Agricultural Science | Volume : 5 | Issue : 11 | November 2015 | ISSN - 2249-555X

कृषि एवं अन्य क्रियाओं में कार्यरत ग्रामीण महिलाओं की समस्याऐं एवं सरकारी कार्यक्रम

KEYWORDS

Sunita Beniwal

ABSTRACT **किसी भी समाज की विकास प्रक्रिया में महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण करके यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समाज के सामाजिक–आर्थिक जीवन में महिलाऐं किस प्रकार से योगदान दे रही हैं। वस्तुतः महिलाओं को विकास की धारा में सम्मिलित किये बिना एक स्वस्थ एवं सुखमय समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। भारत के कृषि क्षेत्र में महिलाओं का योगदान अति महत्वपूर्ण होते हुए भी पुरूष प्रधान समाज ने उसकी उपेक्षा की। असंगठित क्षेत्र में कृषि श्रमिकों की अनेक समस्यायें हैं, और असंगठित महिला श्रमिकों की समस्याऐं ज्यादा गंभीर हैं। ग्रामीण परिवेश में महिलाऐं घर के कार्यकलापों के साथ–साथ कृषि सम्बन्धी गतिविधियों के रूप में दोहरी भागीदारी निभाती हैं। अतः इन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।**

I । साहित्य पुनरावलोकन

अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन (1990), के एक अध्ययन के अनुसार महिलायें विश्व की आबादी का लगभग आधा भाग होते हुए लगभग दो तिहाई घन्टे उत्पादक कार्यों में लगे होने पर भी विश्व की सम्पूर्ण आय का मात्र दसवाँ अंश ही प्राप्त कर पाती हैं तथा साथ ही उन्हें सम्पत्ति की मिल्कियत ही प्राप्त हो पाती है। Amar S.Guleria and Brij Agnihotri (1982-83), हिमाचल प्रदेश के यूना जिले के प्राथमिक सर्वे के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि कुल श्रमशक्ति में महिला भागीदारी, पुरूषों श्रमिकों की तुलना में ज्यादा थी लेकिन कृषि से प्राप्त आय में महिलाओं की भूमिका, पुरूष श्रमिकों की अपेक्षा कम थी। Singh (1988), भारत के हिमाचल क्षेत्र में एक हेक्टेयर कृषि क्षेत्र पर बैलों द्वारा 1064 घन्टे, पुरूषों द्वारा 1212 घन्टे एवं महिलाओं द्वारा 3485 घन्टे कार्य किया जाता है। इससे पता चलता है कि कृषिगत उत्पादन में महिला सार्थक भूमिका अदा करती हैं। Gupta and Singh (1986), हरियाणा राज्य में महिला घरेलू कार्यों एवं पशुओं की देखभाल में प्रतिदिन औसत रूप से 11 घन्टे, जबकि पुरूष इन गतिविधियों में 5 घन्टे से भी कम समय देते हैं।

तालिका – 1 : कृषि क्षेत्र में महिलाओं के समक्ष आने वाली समस्याओं सम्बन्धी अध्ययन

शोधकर्त्ता	समस्यायें
Shanti Chakravarty (1975)	कृषिगत महिला श्रमिकों की आधारभूत समस्याओं, महिला श्रमिकों के शोषण एवं इसका उत्पादकता पर प्रभाव का विश्लेषण किया।
Madan (1980)	कृषिगत महिला श्रमिकों में बेरोजगारी, अल्परोजगार, कम मजदूरी, अपर्याप्त आवास–सुविधा, संगठन का अभाव एवं निम्न जीवन–स्तर का अध्ययन।
Swaroop (1983)	महिलाऐं, पुरूषों की अपेक्षा अधिक घन्टे कार्य करके भी कम आय प्राप्त करती हैं।
Government of India Report (1984)	महिलाऐं तेज गर्मी में भी कार्य करती हैं। इन्हें अनेक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं जैसे त्वचा सम्बन्धी एलर्जी, शारीरिक क्षति, श्वास रोग, मोच, स्नायु सम्बन्धी दर्द, सिर दर्द, ऐंठन आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
Devi (1985)	कृषि क्षेत्र में महिलाओं के समक्ष जागरूकता का अभाव, अज्ञानता एवं साक्षरता के अभाव के कारण कम मजदूरी, जमींदारों द्वारा शोषण, कार्य की स्थितियों एवं ऋणग्रस्तता के झूठे रिकार्ड सम्बन्धी समस्यायें पैदा होती हैं।
Dikshit and Check (1985)	कृषि क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं के समक्ष बिखरे एवं छोटे आकार के खेत, विकसित तकनीकी एवं कृषि इन्पुट का अभाव, सिंचाई सुविधाओं की कमी आदि समस्याऐं आती हैं।
Grover (1988)	कृषिगत महिलाओं के समक्ष सांप एवं कीड़ों द्वारा काटने, यन्त्रों एवं मशीनों के संचालन से आकस्मिक दुर्घटना, उर्वरकों के प्रयोग के समय विष सम्बन्धी घटना, निम्न पोषण–स्तर, श्वास–रोग, लम्बे समय तक कार्य करना जैसी समस्याऐं पैदा होती हैं।

Source : (1) Sunita (1986), An Exploratory Study on Expectation and Performance of Women Labour Engagged in Paddy Cultivation, M.Sc. Thesis, Indira Chakravarty College of Home Science, Hisar.
(2) Bala, Saroj (1991), Participatory Role and Constraints of Women in Wheat Cultivation, M.Sc. Thesis, Haryana Agricultural University, Hisar.

III अध्ययन पद्धति

वर्तमान अध्ययन राजस्थान राज्य के टोंक जिले की निवाई तहसील के छः गावों तक सीमित है। इसके लिए स्तरीकृत निदर्शन विधि (Stratified Sampling Method) को अपनाया गया। यह अध्ययन मूलतः प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित है। प्राथमिक आंकड़ों के संकलन के लिए अनुसूची प्रविधि का प्रयोग किया है। महिलाओं द्वारा कृषि एवं अन्य क्रियाओं से उत्पन्न समस्याओं सम्बन्धी तथ्यों का संकलन अनुसंधान क्षेत्र में जाकर चयनित उत्तरदाताओं से प्रत्यक्ष सम्पर्क करके किया गया। अध्ययन हेतु 150 पारिवारिक इकाईयों का चयन किया। प्रत्येक पारिवारिक इकाई से एक महिला उत्तरदाता से जानकारी प्राप्त करते हुए अनुसूची भरी गई।

IV परिणाम एवं विश्लेषण

ग्रामीण महिलाओं द्वारा कृषि एवं घरेलू कार्यकलापों में कार्य करने के दौरान इन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सर्वेक्षण कार्य (2006–2007) के दौरान कृषि क्षेत्र में महिलाओं के समक्ष आने वाली समस्याओं की जानकारी प्राप्त हुई। इनका विवरण निम्न प्रकार है :–

(अ) कृषि क्षेत्र में कार्यरत ग्रामीण महिलाओं की समस्याऐं

स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यायें

महिलाऐं घर के कार्यों, परिवार के सदस्यों की देखभाल एवं कृषि सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियों में भूमिका निभाती हैं। जिसका असर इनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। अधिकांश सर्वेक्षणों से विदित होता है कि महिलाऐं पहले अपने परिवार को खाना खिलाती हैं और उसके बाद में बचा हुआ स्वयं खाती है। अतः ये महिलाऐं कुपोषण से अधिक प्रभावित होती हैं। कृषि क्षेत्र में कार्यरत ग्रामीण महिलाऐं सुबह जल्दी उठती हैं एवं रात को देर से सोती हैं। घर के कार्यों, पशुओं सम्बन्धी कार्यों के अलावा कृषि कार्यों में भागीदारी निभाती हैं। तथा पुरूषों की अपेक्षा अधिक घन्टे कार्य करती हैं, जिससे इनके पास आराम का समय बहुत कम या रहता ही नहीं है। रसोईघर में खाना पकाने हेतु गांवों में मुफ्त की लकड़ी, पशुमल तथा फसलों के डन्ठल का प्रयोग घरेलू ईंधन के रूप में करती हैं। जिसका महिलाओं के स्वास्थ्य पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है।

महिलाऐं कृषि व अन्य कार्यों को खुली जगह, बरसात, गर्मी एवं सर्दी में करती हैं। कृषि क्षेत्र की विभिन्न गतिविधियों में सबसे कठिन गतिविधि निनाणी है जिसका अधिकतर कार्य महिलाओं द्वारा पूरे दिन किया जाता है। जिसके परिणामस्वरूप उनमें कमर–दर्द, हाथ–पैर दर्द, जोड़ों का दर्द, सिर–दर्द, बुखार, थकान, एड़ी एवं पेट में दर्द, अंगुलियों का छिलना एवं कटना, खरोंच, हाथों में छाले हो जाते हैं।

काम का अधिक भार ग्रामीण महिलायें सुबह अंधेरे से लेकर रात देर तक अनवरत रूप से काम में लगी रहती हैं। औरतें घर की देखरेख और घरेलू कामों के साथ ही पशुओं की देखभाल, बागवानी एवं कृषि कार्य करती हैं। महिलायें, पुरूषों के मुकाबले कहीं अधिक तकलीफ उठाती हैं। वे ज्यादा मेहनत करती हैं फिर भी पुरूष प्रधान समाज में उनकी उपेक्षा होती है। यदि ग्रामीण महिलाओं के एक दिन के श्रम घन्टों की गणना की जाये तो पुरूषों के श्रम घन्टों से अधिक कार्य करती हैं।

Volume : 5 | Issue : 11 | November 2015 | ISSN - 2249-555X

तकनीकी समस्याऐं
महिलाओं में अक्सर भूमि की गुणवत्ता, कृषि यन्त्रों का उपयोग, बीजों की नयी किस्में, बीमारियों की पहचान, कृषि उपकरणों एवं मशीनों की प्राप्ति सम्बन्धी ज्ञान एवं कौशल का अभाव पाया जाता है। इनके साथ–साथ बैंक एवं साख सुविधाओं का ज्ञान नहीं होता। साथ ही यह विडम्बना है कि जो कार्य महिलायें करती हैं, उनमें नयी टैक्नोलॉजी लागू नहीं है। पुरूष जहाँ आधुनिक यन्त्रों तथा नयी तकनीकों को अपनाकर कम श्रम से ही अधिक काम कर लेते हैं।

सामाजिक, पारम्परिक एवं सांस्कृतिक बाधायें
ग्रामीण महिलाऐं, संयुक्त परिवार, पर्दा प्रथा, शराब के चलन एवं अन्य सामाजिक एवं पारम्परिक बाधाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता दर भी कम है। महिला एवं पुरूषों में निर्णय–प्रक्रिया में असमानता भी एक सामाजिक समस्या है, क्योंकि गाँवों में पुरुषों का ही निर्णय–प्रक्रिया पर वर्चस्व होता है। शराब के कारण मनमुटाव एवं महिलाओं की पिटाई सम्बन्धी समस्याऐं पैदा होती हैं।

पारिवारिक समस्याऐं
घरेलू कार्यों की अधिकता के कारण महिलाओं को आराम का समय बहुत कम मिलता है। पारिवारिक स्तर पर महिला पर काम का अधिक भार, बच्चों एवं बड़ों की देखभाल तथा बड़े आकार के परिवार के कारण अनेक समस्यायें पैदा होती हैं। जैसे परिवार में औरतों में आपस में झगड़े, सास–बहुओं के झगड़े, काम की अधिकता से तनाव, पति द्वारा शराब पीकर पत्नी से गाली–गलौच, पिटाई, बच्चों की पिटाई, महिला की बात को महत्व न देना, बात–बात पर घर से निकालने की धमकी आदि।

कम मजदूरी एवं उत्पादकता का निम्न स्तर
पुरूषों एवं महिलाओं द्वारा एक ही तरह के कार्य करने पर भी पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं को कम वेतन मिलता है। अपर्याप्त पोषण के कारण महिलाओं की कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः कृषि कार्यों में इनकी उत्पादकता कम होने लगती है।

वित्तीय समस्याऐं
ग्रामीण महिलाओं के समक्ष अनेक आर्थिक एवं वित्तीय समस्याऐं पैदा होती हैं। आय पर घर के मुखिया अर्थात् पुरुष वर्ग का प्रभुत्व होता है। माता–पिता अपनी भूमि में पुत्री को हिस्सा नहीं देते एवं ससुराल में भूमि का स्वामित्व एवं नियन्त्रण महिला के पति या ससुर के पास होता है। स्त्रीधन पर भी महिला के पति या परिवार का प्रभावी नियन्त्रण होता है। अतः महिलाओं को घर एवं अन्य कामों पर व्यय के लिए पुरुष पर ही निर्भर रहना पड़ता है।

अपर्याप्त रोजगार अवसर
ग्रामीण क्षेत्र में कुछ परिवारों के पास कम भूमि के कारण महिलाऐं दूसरों के खेतों पर जाकर कार्य करती हैं। बदले में इन्हें अनाज का आधा भाग दिया जाता है। भूमि का मालिक किसी मौसम में खेत में फसल बोता है किसी में नहीं। इस कारण महिलाओं को पर्याप्त रोजगार नहीं मिल पाता। साथ ही कृषि मानसून पर निर्भर होने पर इसका असर फसल पर पड़ता है।

निम्न जीवन स्तर
ग्रामीण महिलाओं के परिवार अपर्याप्त रोजगार के कारण गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। साथ ही महिलाओं के अपर्याप्त पोषण एवं निम्न कार्यक्षमता के कारण भी पर्याप्त आय प्राप्त नहीं होती। फलस्वरूप इनका जीवन स्तर निम्न रहता है।

महिलाओं के घर के कार्यों को राष्ट्रीय गणना में शामिल नहीं किया जाना
कृषि एवं गृह कार्यों में महिलाओं द्वारा घन्टों कार्य करने के बावजूद भी इनके घन्टों का कोई हिसाब नहीं लगया जाता है। इसलिए इनकी गणना सकल राष्ट्रीय उत्पाद में नहीं की जाती है। किन्तु राष्ट्रीय उत्पाद में महिला द्वारा किए गए घरेलू कार्य एवं उत्पादकता को महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

(ब) ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं को दूर करने हेतु सरकारी कार्यक्रम
स्त्रियों पर सामाजिक प्रथाओं और परम्पराओं के प्रतिबन्ध होने तथा समाज में उनकी दयनीय स्थिति के कारण इस वर्ग को सहायता पहुंचाने की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता को महसूस किया गया है। अतः महिलाओं के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार ने अनेक कार्यक्रम तैयार किये हैं।

(1) केन्द्र सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम ;प्त्च्द्ध – यह कार्यक्रम 1978–79 में प्रारम्भ किया गया। इसका उद्देश्य लघु एवं सीमान्त कृषकों, कृषि एवं गैर कृषि श्रमिकों, ग्राम कारीगरों, अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को गरीबी की रेखा से नीचे हैं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। कुल लाभार्थियों में कम से कम 30: महिलाऐं तथा महिला मुखिया परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता दी जाती है।

ग्रामीण युवा स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम ;ज्त्स्म्द्ध . ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को बेरोजगारी की समस्या से निजात दिलाने के लिए 18–35 वर्ष की आयु के निर्धन ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण तथा अपना व्यवसाय शुरु करने के लिए यह योजना 1979 में प्रारम्भ की गयी। इसमें 40: प्रशिक्षणार्थी महिलाऐं होती हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ;छत्म्द्ध . यह कार्यक्रम 1980 से प्रारम्भ किया गया। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार तथा अर्द्धबेरोजगार पुरूषों तथा महिलाओं के लिए लाभप्रद रोजगार पैदा किया जाता है। साथ ही गरीब ग्रामीणों के आहार के पोषक तत्वों में और जीवन–स्तर में सुधार लाना।

जवाहर रोजगार योजना ;श्रत्ल्द्ध . यह योजना 28 अप्रैल 1989 को लागू की गई। 1989 में सरकार ने इसे छत्म्द् तथा त्स्म्ळच् कार्यक्रम को मिलाकर प्रारम्भ किया। इसका उद्देश्य पिछड़े जिलों में गरीबी एवं बेरोजगारी से ग्रस्त प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को उसके निवास स्थान के निकट एक वर्ष में 50 से 100 दिनों तक के लिये रोजगार दिलाना है तथा कुल रोजगार जनन का 30: भाग महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) . यह योजना 1999 से प्रारम्भ की गयी। इस योजना से यह आशा की गयी कि ग्रामीण पुरुष व महिला शत प्रतिशत लाभान्वित होंगे। अतः महिलाओं का आत्मिक सुदृढ़ीकरण जयन्ती स्वरोजगार योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत अत्यन्त आवश्यक है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) – यह योजना 1995 से लागू की गई। इसमें निर्धन परिवार की महिलाओं को पहले दो बच्चों के प्रसव के पूर्व तथा बाद की देखभाल के लिए पोषाहार देने का प्रावधान है।

रोजगार आश्वासन योजना (EAS) – ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों एवं खेतिहर मजदूरों को वर्ष के बेरोजगार दिवसों में 100 दिवस का रोजगार सुनिश्चित करने की यह योजना 1993 में लागू की गई। यह योजना 18–60 वर्ष के सभी ग्रामीण पुरूषों व महिलाओं के लिए खुली है।

महिलाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता (STEP) . इस योजना के अन्तर्गत अल्प आय वर्ग की महिलाओं को रोजगार से जोड़ने हेतु भारत सरकार द्वारा अनुदान स्वीकृत किया जाता है। इससे ग्रामीण महिलाओं को दुग्ध उत्पादन एवं वितरण, साक्षरता, ग्रामीण स्वास्थ्य एवं सफाई, स्वरोजगार कार्यक्रम एवं जागरूकता कार्यक्रम चलाकर उनका सर्वांगीण विकास किया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों के विकास की योजना (DWCRA) . राजस्थान में यह योजना 1984 में शुरू हुई। यह योजना मूलतः गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली ग्रामीण महिलाओं (18–35 आयु वर्ग) के लाभ के लिए है। इसमें महिलाओं को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर, जीवन स्तर तथा समाज में महिलाओं के दर्जे को ऊँचा उठाना तथा उनके परिवार के स्वास्थ्य, शिक्षा तथा पोषण के स्तर में सुधार लाना है।

योजना के उद्देश्य
1. स्त्रियों के काम के स्थानों पर उनके बच्चों की सुरक्षा व देखरेख सुविधाओं का आयोजन करना।
2. जो स्त्रियाँ IRDP के द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाती, उन्हें समूहों में संगठित कर आर्थिक कार्यक्रमों द्वारा आय में वृद्धि करना।
3. ग्रामीण महिलाओं को समर्थन सेवाऐं उपलब्ध करवाकर उनका उत्पाद कौशल एवं कार्यकुशलता को बढ़ाना।
4. महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमताओं एवं लेनदेन की शक्तियों को सामूहिकीकरण के द्वारा बढ़ाना।
5. परिवार की बढ़ी आमदनी से बच्चों व मां के पोषाहार में सुधार करना व सामान्य जीवन स्तर ऊँचा उठाना।

महिला समृद्धि योजना (MSY) . यह योजना 1993 में प्रारम्भ की गई। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं में बचतों को प्रोत्साहित कर आर्थिक सशक्तिकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

महिला आयोग . राज्य में महिला आयोग का गठन 1999 को राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 के अन्तर्गत किया गया। इसका उद्देश्य महिलाओं के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के अनुचित एवं उपेक्षित व्यवहार की जांच करना तथा उस पर निर्णय लेकर उस मामले में की जाने वाली कार्यवाही में सरकार को सिफारिश देना है।
राष्ट्रीय महिला कोष . इस कोष का गठन 1993 में किया गया। निर्धन महिलाओं विशेषकर असंगठित क्षेत्र की निर्धन महिलाओं की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक समेकित, सरल, प्रक्रियात्मक एवं लचीली पुनर्भुगतान प्रणाली विकसित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई।

इन्दिरा महिला योजना (IMY) – यह योजना 1995 को प्रारम्भ की गई। इसका उद्देश्य समाज के सबसे निचले स्तर पर महिलाओं को संगठित करना है, जिससे वे अधिकार सम्पन्न बनें तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी निभा सकें। रोजगार के साथ–साथ उन्हें शिक्षित–प्रशिक्षित करने, स्वास्थ्य समस्याओं का निराकरण, रोजगार तथा कार्य सम्बन्धित कानूनी जानकारी व कानूनी सुरक्षा तथा सामाजिक रूप से सुरक्षित व शक्तिशाली बनाने के कार्य शामिल हैं।

महिलाओं की आय वृद्धि एवं रोजगार की योजना (नौराड़)– महिलाओं की आय वृद्धि एवं रोजगार की योजना के अन्तर्गत महिलाओं को प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार प्रदान करने की योजना है।

बालिका समृद्धि योजना– यह योजना 1997 को प्रारम्भ की गई। इसमें 15 अगस्त 1997 के बाद गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों में बालिका के जन्म पर अधिकतम 2 बालिकाओं पर माता को 500 रुपये की राशि का प्रावधान है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, बालिकाओं की स्कूल की प्रवेश दर में वृद्धि करना एवं अप्रत्यक्ष रूप से बालिकाओं की उत्तरजीविका को सुनिश्चित करने के साथ–साथ बालिका हत्या की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना तथा बालिकाओं के समग्र स्तर को उन्नत एवं विकसित
करना है।

Volume : 5 | Issue : 11 | November 2015 | ISSN - 2249-555X

(2) राज्य सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम

किशोरी बालिका योजना – यह योजना वर्ष 1993 में प्रारम्भ की गई। इसका उद्देश्य किशोरियों का सामाजिक विकास, उनकी आवश्यकताओं एवं कुशलताओं के अनुरूप हो सके तथा बालिकाऐं अपने हितों का भविष्य में स्वयं निर्धारण कर सकें। योजना के अन्तर्गत 11–18 वर्ष की बालिकाओं को लाभान्वित किया जाता है। तथा अजा/अजजा एवं पिछड़े तबकों की स्कूल छोड़ चुकी बालिकाओं में क्षमता विकास, निर्णय लेने की क्षमता तथा स्वास्थ्य सुधार सम्बन्धी गतिविधियाँ सम्पन्न की जा रही हैं।

महिला विकास कार्यक्रम (WDP) . यह कार्यक्रम 1989 में लागू किया गया। इस कार्यक्रम का वृहद् लक्ष्य जानकारी, शिक्षा व प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण करना तथा उन्हें विकास की मूल धारा से जोड़ना है। इसमें ग्रामीण महिलाओं में आत्मविश्वास की भावना जागृत करना, विचारों व सोच में परिवर्तन करना शामिल है।

समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम (ICDS) – राज्य में यह कार्यक्रम 1975 में बांसवाड़ा जिले की गढ़ी पंचायत समिति से प्रारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती तथा धात्री महिलाओं को पूरक पोषाहार, रोग प्रतिरोधक टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और सन्दर्भ सेवायें उसे 6 वर्ष के बच्चों के लिए शाला पूर्व शिक्षा तथा महिलाओं को पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा देना है।

आंचल से आंगन तक – माँ और शिशु के स्वास्थ्य तथा पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए राज्य के आठ जिलों में यह कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य शिशु मृत्यु दर (IMR) तथा मातृ मृत्यु दर (MMR) में कमी लाना है। साथ ही 3 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती/धात्री माता एवं किशोरी बालिकाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर को परिवार एवं समुदाय आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से जोड़कर सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाना है।

जिला महिला सहायता समिति – शोषित एवं उत्पीड़ित महिलाओं को अविलम्ब राहत देने, उन्हें आवश्यक सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करने एवं शोष्ण के प्रकरणों का पुनरीक्षण का शीघ्र कार्यवाही कराने के उद्देश्य से समस्त जिलों में एक जिला स्तरीय महिला सहायता समिति की स्थापना जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में की गई है।

एकीकृत महिला सशक्तिकरण योजना या स्वयंसिद्धा (IWEP) . प्रदेश की महिलाओं में आर्थिक स्वाययतता लाने तथा उनके विकास के लिए अन्तर्विभागीय सेवाओं में समन्वय एवं जागरूकता के उद्देश्य से यह योजना 1995 में आरम्भ की गई। इसका उद्देश्य महिलाओं में विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी योजनाओं के प्रति जागृति पैदा करना, उनका लाभ उठाने हेतु उन्हें शिक्षित करना तथा आय उपार्जित करने की विभिन्न गति. विधियों को प्रोत्साहित कर शिक्षा तथा जागरूकता के लिए एक अनवरत प्रक्रिया का विकास करना है।

स्वयं सहायता समूह – ''एक के लिए सब, सब के लिए एक'' के सिद्धान्त पर रची गयी स्वयं सहायता समूह योजना का उद्देश्य गांवों की गरीब महिलाओं की आसानी से की गई बचत से उन्हीं की सहायता करना है। इस हेतु महिला विकास अभिकरणों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों एवं बचत साख समूहों का निर्माण किया जा रहा है। महिलाओं में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने, उनमें मितव्ययता की भावना पैदा करने, छोटी–छोटी बचतों को प्रोत्साहित करने, आवश्यकता के समय ऋण व साख का प्रबन्ध करने तथा अन्य सामाजिक–आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महिलाओं के स्वयं सहायता समूह गठित किये गये हैं।

निष्कर्ष

ग्रामीण परिवेश में महिलाऐं घर के कार्यकलापों के साथ–साथ कृषि सम्बन्धी कार्यों के रूप में दोहरी भागीदारी निभाती हैं। अतः इन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही इनकी समस्यायें गम्भीर व विशेष हैं। ये समस्यायें जैसे – स्वास्थ्य सम्बन्धी, काम का अधिक भार, पारिवारिक समस्यायें, वित्तीय समस्याओं, सामाजिक, पारम्परिक एवं सांस्कृतिक बाधाऐं, उत्पादकता का निम्न स्तर, तकनीकी समस्यायें, अपर्याप्त रोजगार अवसर व निम्न जीवन–स्तर से जूझना पड़ता है।

अतः महिलाओं विशेषकर ग्रामीण महिलाओं के विकास के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार ने अनेक कार्यक्रम तैयार किए हैं। समय–समय पर ग्रामीण आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यक्रमों में संशोधन भी किए हैं। साथ ही अनेक बार पूर्व में चल रही योजनाओं का नवीन विकासपरक एवं रोजगारपरक योजनाओं में विलय किया गया। विभिन्न कार्यक्रमों से महिला जागृति, साक्षरता, स्वास्थ्य, रोजगार शिक्षण–प्रशिक्षण के माध्यम से महिला विकास के अगम्य मार्ग को गम्य बनाने अथवा दुर्लभ को सुलभ सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। किन्तु व्यवहार में ये कार्यक्रम राजनीति से ग्रसित हो जाने के कारण तथा क्रियान्वयन के क्षेत्र में विभिन्न त्रुटियों के कारण वास्तव में उन लोगों तक पहुंच ही नहीं पाये हैं जिन्हें इनकी अत्यन्त आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त अभी तक इनका आवश्यकतानुसार पर्याप्त विस्तार न हो पाने के कारण इनकी उपलब्धियाँ व प्रभाव भी नगण्य से ही हैं।

कृषि व अन्य कार्यों में कार्यरत ग्रामीण महिलाओं की भूमिका एवं स्थिति में सुधार हेतु सुझाव

ग्रामीण महिलाओं की कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में भागीदारी को और अधिक बढ़ाने तथा उनके समक्ष आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए सुझाव का विवरण निम्न प्रकार है –

1.महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए तकनीकी ज्ञान और कौशल में वृद्धि की जानी चाहिए। इसके लिए कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं दूसरे विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से व्यवसा. यिक प्रशिक्षण का आयोजन करना चाहिए। तकनीकी एवं यन्त्रों सम्बन्धी कार्य महिलाओं को भी सिखाये जाने चाहिए ।

2.सरकार महिला उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रम चला रही है। लेकिन सभी तरह के कार्यों को सम्पन्न करने के बाद महिलाओं के पास इतना समय नहीं बच पाता है कि वे इन कार्यक्रमों में भाग ले सकें। अतः सबसे पहले उन्हें कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

3.महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए साक्षरता अभियान को निष्ठापूर्वक संचालित करने की आवश्यकता है। ताकि महिलाओं में आत्मविश्वास व जागरूकता बढ़े तथा वे उन तत्वों पर ध्यान दे सकें जिनके कारण वे पिछड़ी हुई हैं। अनेक सामाजिक बुराईयों जैसे – दहेज प्रथा, मद्यपान पर संगठित होकर विरोध कर सकें।

4.सहभागी व स्वैच्छिक संगठनों को धुंआ रहित चूल्हे को प्रचारित करना चाहिए।

5.कृषि कार्यों में कार्यरत महिलाओं को वैज्ञानिक व व्यवहारिक प्रशिक्षण देकर उनके परम्परागत कृषि ज्ञान के साथ आधुनिक तकनीक एवं वैज्ञानिक ज्ञान का तालमेल करना चाहिए। जिससे कृषि पैदावार में कम लागत पर वृद्धि सम्भव हो सके।

6.कृषि यन्त्रों की नई डिजाइनों में महिलाओं की शारीरिक संरचना का ध्यान रखा जाना चाहिए तथा ऐसे उपकरणों पर सरकारी छूट का भी प्रावधान किया जाना चाहिए।

7.सहकारी अभिकरणों के माध्यम से महिलाओं को संसाधन व पूंजी उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

8.कृषि उपज में वृद्धि के लिए उन्नत किस्म के बीच का विकास करना चाहिए। बीज गांव संकल्पना का प्रसार करके बीच उत्पादन, बीज प्रसंस्करण, बीज भण्डारण का प्रशिक्षण देकर उन्नतशील बीज की उपलब्धता बढ़ानी चाहिए।

9.पर्याप्त कानून बनाकर समान कार्य के लिए समान वेतन अधिनियम लागू किया जाना चाहिए।

10.कृषि हेतु वर्षा के जल संरक्षण की नयी तकनीकों की जानकारी दी जानी चाहिए ताकि संरक्षित जल का उपयोग किया जा सके।

11.ग्रामीण परिवेश में विशेषतः कृषि क्षेत्र में महिलायें अदृश्य श्रमिक के रूप में कार्य करती हैं। अतः सांख्यिकीय लेखों में इनकी भूमिका को शामिल किया जाना चाहिए एवं इन्हें वेतन प्राप्त होना चाहिए।

12.व्यक्तिगत कौशल और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को विकसित व प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि महिलायें सार्वजनिक मंच पर खुलकर चर्चा करने एवं निर्णय– प्रक्रिया में योगदान दे सकें तथा नेतृत्व कौशल व निरीक्षण क्षमता के रूप में भूमिका में वृद्धि हो सके।

13.कृषि के मन्दीकाल व वर्षा के अभाव के कारण अल्परोजगार एवं बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए आय सृजित करने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से लाभकारी रोजगार जैसे – लघु व कुटीर उद्योग आरम्भ करने चाहिए।

14.श्रम कानून, सुरक्षा व स्वास्थ्य नियम व रोजगार संबंधी लाभ सामान्यतः असंगठित क्षेत्र के ऊपर लागू नहीं होते। अतः काम के अधिक घन्टों व पारितोषिक के अभाव के कारण महिलाओं का शोषण होता है। अतः कार्यक्रमों की रूपरेखा व रचना के समय महिलाओं के विचारों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

भावी शोध कार्य की सम्भावनायें

कृषि क्षेत्र में व अन्य अन्य कार्यों में कार्यरत महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को देखने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में चलाये गये सरकारी कार्यक्रमों कार्यक्रम एवं इनका ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी, निर्णय–प्रक्रिया एवं निरीक्षक के रूप में भूमिका में कहां तक योगदान है। इस सम्बन्ध में भी अध्ययन के माध्यम से परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं जो कि सरकार एवं योजनाकारों के लिए नीति निर्धारण हेतु उपयुक्त सिद्ध हो सकते हैं।

Volume : 5 | Issue : 11 | November 2015 | ISSN - 2249-555X

REFERENCE Altekar, A.S., The Position of Women in Hindu Civilization, Asia Publishing House, New Delhi. Joshi, Mahesh V. (1999), Women Rural Labourers – Problems and Prospects, APH Publishing Corporation, New Delhi. Kaur, Rajinder and Singh, Ranjit (1992), Development Programme for Rural Women, Vohra Publishers & Distributors, Allahabad. Murty, S. (2002), Women Work Participation and Empowerment: Problems and Prospects, RBSA Publishers, Jaipur. Ruhela, Saryu, Understanding the Indian Women Today Problems and Challenges, Indian Publishers Distributors, Delhi. Sharma, Pragya (2001), Mahilla Vikas Aur Sashaktikaran, Aaviskaar Publishers Distributors, Jaipur. Sharma, Sangita and Sharma, Rajesh Kumar (2005), Mahilla Vikas Avem Rajkiyien Yojanaien, Ritu Publications, Jaipur. Upreti, H.C. and Upreti, Nandini (2000), Women and Problems of Gender Discrimination, Pointer Publishers, Jaipur. Bala, Dr. Shashi (2003), "Gramin Vikas – Ek Vishista Avelokan", Kurukshetra, Dec., Varsh – 49, Ank-2. Chaudhary, D. Poul (1997), "Action for Women's Development", Social Welfare, 44 (7) : 3-8. Deshpande, Sudha and Deshpande, L.K. (1992), "New Economic Policy and Female Employjment", Economic and Political Weekly, Octomber, 10. Grewal, R.S. and Singh, Parmatma (1975), "Prospects and Problems of Marginal and Small Farmers in Haryana", Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. XXX (3) M, pp. 257. Joshi, U. (1989), "Improving the Status of Rural Women", Social Welfare, Vol. 36 (3 and 4) : 13. Kashyap, C.L.(1989), "Technological Development for Rural Women", Kurukshetra, 37 (10) : 19-20. Kaur, Rupinder (1999), "Agricultural Development and Women's Role : A Study of Punjab", Margin, Vol. 31, Nos. 3 & 4, April-June & July-Sept. Kumari, A. and Sithalakshmi (1996), "Impact of DWCRA on Socio-Economic Development of Rural Women", Indian J. Ext. Edu. Vol. 32, Nos. 1 to 4, pp. 70-72. Padamanbhan, B.S. (2001), "Krishi Shetra Ki Mahillaaon Ko Adhikar Sampan Banane ke Prayas", Yojana, Varsh – 44, Ank – 10, January. Paul, Samuel, Subramanian, Ashok (1983), "Development Progammes, for the Poor : Do Strategies Make a Difference"?, EPW, 18 (10) March 5, 1983. Shafeeq, Nikhat Yasmin (2004), "Gender and Discrimination – A Review of the Issues", Social Change, Vol. 34 (1) March, pp. 126-131. Shobha, I. (2001), "Krishi Shetra Mein Mahillaaon ke Samaksh Saamagik Chunontiyaan : Ek Adhyan", Yojana, Varsh – 45, Ank – 4, July, Page 30-38. Sivanankalah, M. and Ramappa, P. (1993), "Impact of DWCRA on Rural Areas", Kurukshetra, Vol. XII, No. 10, pp. 11-14. Sood, Archana (2004), "Sustainable Rural Development", Kurukshetra, Vol. 52, No. 6, April.